

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना नं-14/P.I./2025 दिनांक-09/07/2025 की अनुपालना में एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक-स्था/19/3632 दिनांक-15/11/2019 तथा कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था/21/723 दिनांक-25/11/2021 के क्रम में-BNSS-2023 की धारा-13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति स्वामी-RJS मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ निम्नवत् आदेश पारित करती हूँ कि माह अक्टूबर-2026 के निम्नांकित राजपत्रित अवकाशों में प्रतापगढ़ जिला न्याय-क्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्रोटोकॉल, मृत्यु-समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत आवेदन एवं अन्य) को निम्न अनुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निष्पादित किये जायेंगे-

अक्टूबर-2026

क्र.सं.	दिनांक	अवकाश	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	02/10/2026	महात्मा गांधी का जन्मदिवस	संयोगिता, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
2	04/10/2026	रविवार	संयोगिता, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
3	10/10/2026 11/10/2026	द्वितीय शनिवार रविवार	सुश्री तन्वी गोस्वामी, (RJS) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
4	18/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 21/10/2026	रविवार दशहरा अवकाश दशहरा अवकाश दशहरा अवकाश	स्तुति राठी, (RJS) अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
5	22/10/2026 23/10/2026 24/10/2026 25/10/2026	दशहरा अवकाश दशहरा अवकाश चतुर्थ शनिवार रविवार	श्री तुषार शर्मा, (RJS) न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)

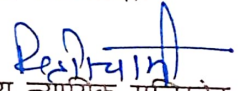
निर्देश-1 यह कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय -11.00AM से-01.00PM तक रहेगा। उक्त-02 घण्टे के दौरान संबंधित न्यायालय के रीडर, स्टेनो, फौजदारी लिपिक व एक सहायक कार्मिक को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये पाबंद किया जावे तथा पीठासीन अधिकारी उक्त समय में न्यायालय में उपस्थित रहे।

2 अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

3 यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात् वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वहीं न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य PTO

दीप्ति

- करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- 4 नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियम अनुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।
- 5 प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के बाहर के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड को संबंधित न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर उपस्थित होने की स्थिति में उनके द्वारा ही निष्पादित किया जावेगा।
- 6 उपरोक्त राजपत्रित अवकाशों में यदि प्रतापगढ़ मुख्यालय पर प्रोटोकॉल कार्यक्रम आता है तो संबंधित रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ मुख्यालय पर उपस्थित होकर प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में सम्पूर्ण व्यवस्था का सुचारु संपादन सुनिश्चित करेंगे।
- 7 उक्त रिमाण्ड अवधि के दौरान यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धारा-26 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा-32) के तहत मृत्यु-कालीन वयान के संबंध में प्रस्तुत होने वाले आवेदनों के निस्तारण/ वयान एवं BNSS-2023 के अध्याय-13 की धारा-196 BNSS के तहत बंदी की मृत्यु वावत् इन्क्वेस्ट कार्यवाही रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट निष्पादित करेंगे।

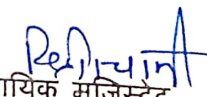

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़(राज.)

क्रमांक/स्था/2026/497-509

दिनांक- 28/09/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)
- 2- श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ /अरनोद/छोटीसादड़ी/ धरियावद, जिला प्रतापगढ़
- 3- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
- 4- श्री अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
- 5- श्री न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)
- 6- श्री पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़(राज.)को प्रेषित कर लेख है, कि वे अपने अधीनस्थ समस्त थाना अधिकारियों को सूचित करावें, कि वे प्रत्येक अवकाश की दिनांक को 11.00AM से-01.00PM के दौरान ही संबंधित रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके न्यायालय में ही अभियुक्त को रिमाण्ड इत्यादि के लिये पेश किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादड़ी/धरियावद
- 8- आदेश पत्रावली, कार्यालय हाजा।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़(राज.)